बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक:- 28-3-18

एस0 ओ0–   दिनांक–   न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा–5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा–3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्व अनुसूची–1(ब)के स्तंभ–2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित / पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्त्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते है । अनुसूची –1(ब) के स्तभं –02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची–1(अ) के स्तंभ–01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा–2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ–04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची–1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001–100)	आधार वर्ष परिवर्त्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960–100)
जुलाई,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अगस्त,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
सितम्बर,2017	285	4.63 X 4.93	6505.38
अक्टूबर,2017	287	4.63 X 4.93	6551.03
नवम्बर,2017	288	4.63 X 4.93	6573.85
दिसम्बर,,2017	286	4.63 X 4.93	6528.20
			योग :– **39169.22**

औसत - **39169.22**÷6 = 6528.20

अनुसूची–1 (ब)

1. अनुसूचित नियेाजन का नाम– घरेलू कामगार,
   अधिसूचना संख्या–4825, 4826 दिनांक– 15.09.2017
   गजट संख्या–859 दिनांक–19.09.2017

अनुसूची–II

क्र0 सं0	*कामगारों की कोटि (अकुशल श्रेणी)*	दिनांक–01.12.2016+ 01.04.2017+01.10.2017 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक–01.04.2018 से प्रभावी होगी	01.04.2018 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	***2***	**3**	**4**	**5**
1	बरतन धोना (प्रति घंटा)	707.00+14.00+14.00=735.00	22.00	757.00 प्रतिमाह
2	कपड़ा धोना/बरतनधोना (प्रति घंटा)	707.00+14.00+14.00=735.00	22.00	757.00 प्रतिमाह
3	बरतन धोना/कपड़ा धोना एक हजार स्काव्यर फीट में पोछा लगाना (प्रति घंटा)	707.00+14.00+14.00=735.00	22.00	757.00 प्रतिमाह
4	कपड़ा धोना/बरतन धोना/ पोछा लगाना एवं बच्चों की देखभाल करना (08 घंटा)	5645.00+113.00+115.00 =5873.00	176.00	6049.00 प्रतिमाह
5	कपड़ा धोना/बरतन धोना पोछा लगाना/बच्चों की देखभाल करना /बच्चों को स्कूल पहुँचाना एवं वापस लाना तथा अन्य घेरेलु विविध कार्य करना (08 घंटा)	5645.00+113.00+115.00 =5873.00	176.00	6049.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशीलमहंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से ***जुलाई-दिसम्बर,2017*** के औसत के आधार पर ***अप्रैल,2018*** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा ।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-401/07 श्र0सं0-1463)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.3.2018

(मोहन रजक)

अवर सचिव ।

अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक- का अँग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय, ।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-401/07 श्र0सं0- 1464)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

28.3.2018

(मोहन रजक)

अवर सचिव ।

NOTIFICATION

Patna, dated- 28.3.18

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.